राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.
नेहरू सहकार भवन, तृतीय तल, 22 गोदाम, जयपुर
E-mail : gmscdcho@gmail.com Ph. No. 0141-2740745, 2740544 Fax No. 0141-2740880

सफाई कर्मचारी वर्ग के लिये योजनायें –

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 द्वारा राज्य के सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। यह ऋण राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से उपलबध कराया जाता है। सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों तथा मैनुअल स्कैवंजरों (हाथ से मैला ढोने वाले) के पुनर्वास एवं स्वयं रोजगार योजना के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

पात्रताः–

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. कोई भी सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार एवं उस पर आश्रित परिवार का व्यक्ति।
3. सफाई कर्मचारी की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।
4. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है, परन्तु अन्य बातें समान होने पर स्वच्छकारों में से वह स्वच्छकार जिनकी आय गरीबी रेखा से दुगुनी से कम हो तथा सफाई कर्मचारी वर्ग की महिलाओं व दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. आवेदक का नाम चिन्हित मैनुअल स्कैवंजर्स की सूची में अंकित हो।

ऋण की विभिन्न योजनाएं :–

क्र. सं.	योजना का नाम	इकाई लागत (रू. लाखों में)	ब्याज दर (%)	पुर्नभुगतान अवधि (त्रैमासिक)	मोरेटोरियम अवधि
1	महिला समृद्धि योजना	रु. 60,000/– तक	4	3 वर्ष	6 माह
2	लघु ऋण वित्त योजना	रु. 60,000/– तक	5	3 वर्ष	6 माह
3	मियादी ऋण योजना – ● लघु व्यवसाय शहरी ● लघु व्यवसाय ग्रामीण	 1.00 0.50	6	5 वर्ष	6 माह

4	महिला अधिकारिता योजना	रु0 75,000/– तक	5	5 वर्ष	6 माह
5	लघु ऋण योजना	रु. 50,000/– तक	5	3 वर्ष	6 माह
6	सामान्य मियादी ऋण योजना	रु. 15.00 लाख तक	6	10 वर्ष	6 माह
7	शिक्षा ऋण (ई.एल.) भारत में शिक्षा हेतु	रु. 10.00 लाख तक	4	5 वर्ष	1 वर्ष (पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद)
8	स्वच्छता उद्यमी योजना – स्वच्छता से संपन्नता की ओर		5	10 वर्ष	6 माह
(क) भुगतान एवं उपयोग शौचालयों के लिए		रु. 25.00 लाख तक			
(ख) भुगतान एवं उपयोग की खरीद के लिए		रु. 15.00 लाख तक			
9	सैनेट्री मार्ट योजना	रु. 15.00 लाख तक	5	10 वर्ष	6 माह
10	हरित व्यवसाय योजना	रु. 1.00 लाख तक	2	6 वर्ष	6 माह
11	ऑटो रिक्शा (कोटेशन के अनुसार)	3.00 लाख	6	5 वर्ष	6 माह
12	इलैक्ट्रिक बैट्री (ई–रिक्शा) (कोटेशन के अनुसार)	1.50 लाख	6	5 वर्ष	6 माह
13	जीप टैक्सी (कोटेशन के अनुसार)	10.00 लाख	6	10 वर्ष	6 माह
14	ट्रैक्टर मय ट्रौली (कोटेशन के अनुसार)	7.00 लाख	6	10 वर्ष	6 माह
15	राशि 2.00 लाख तक की योजना	2.00 लाख	6	10 वर्ष	6 माह
16	कृषि आधारित लघु व्यवसाय (सॉलर लाईट एवं अन्य कृषि कार्य)	5.00 लाख	6	10 वर्ष	6 माह
17	बकरी पालन योजना	0.20 लाख	4 %	5 वर्ष	6 माह

नोट : जो ऋणी समय पर ऋण की अदायगी करेगें 50 प्रतिशत के बाद एक प्रतिशत एवं शत–प्रतिशत अदायगी पर फिर एक प्रतिशत अर्थात कुल दो प्रतिशत की छूट देय है।